राजस्थान सरकार

निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.2(5)निम / लेखा / ठेका / 2020–21 / दिनांक :

कार्यालय आदेश

राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम, 1958 (संशोधित नियम 1981, 1991, 1997 एवं 2003) के अनुसार वर्ष 2020–21 में मत्स्याखेट के अधिकार दिये जाने हेतु निदेशालय की नीलामी बोली विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 2(4)निम / लेखा / ठेका / 2019–20 / 16994 दिनांक 31.08.2020 के क्रम में प्राप्त "ख" श्रेणी की नीलामी बोलीओं को दिनांक 22.09.2020 को खोला गया। कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.2(5)निम / लेखा / ठेका / 2020–21 / 18457 दिनांक 23.09.2020 से सफल / उच्चतम बोलीदाताओं की नीलामी बोली को स्वीकार किया गया। निम्नांकित बोलीदाताओं ने वर्ष 2020–21 के ठेके की चौथान लीज राशि जमा करा दी है। अतः राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 एवं समय–समय पर संशोधित अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक के लिए प्रति वर्ष 12 प्रतिशत स्टेजेज बढोतरी के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है। जलाशय के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण अनुज्ञापत्रधारी के संतोषप्रद कार्य की समीक्षा के उपरान्त ही किया जाएगा।

सम्बन्धित मत्स्य ठेकेदार राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम, 1958 (समय–समय पर संशोधित) के नियम 6 (1) के प्रावधान अनुसार दिनांक **23.10.2020** तक शेष 3/4 ठेका राशि डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा जमा करायें। साथ ही सम्पूर्ण ठेका राशि पर साढ़े सात (7.5) प्रतिशत के हिसाब से प्रतिभूति राशि डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा जमा कराकर स्वंय उपस्थित होकर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करें। निर्धारित अवधि के अन्दर शेष 3/4 राशि जमा नहीं कराये जाने पर विभाग में जमा कराई गई चौथान राशि एवं अतिरिक्त राशि आदि जब्त करते हुए स्वीकृति को निरस्त कर दिया जायेगा तथा संबंधित ठेकेदार को दो वर्ष हेतु निविदाओं में भाग लेने पर प्रतिबन्धित करते हुए जलाशय को पुनः निविदा में शामिल कर लिया जायेगा।

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए उच्चतम नीलामी बोली राशि	ठेकेदार / फर्म का नाम व पूर्ण पता
	जिला झालावाड		
1	नदी छोटी कालीसिंध तहसील गंगाधार	470000	श्री विजय सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह, 923, सुरजमल नगर सेंटर विधालय के पीछे, भरतपुर, राजस्थान। मो. 8979160724

— Sd —
निदेशक

क्रमांकः–एफ.2(5)निम / लेखा / ठेका / 2020–21 / 18502–18562 दिनांक : 24/9/2020

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, / लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. आयुक्त, आयकर विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, ढालावाड।
6. संयुक्त निदेशक, मत्स्य, राजस्थान जयपुर।
7. सहायक निदेशक मत्स्य (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर।
8. सहायक निदेशक (सांख्यिकी) मत्स्य राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
9. सहायक निदेशक / मत्स्य विकास / परियोजना अधिकारी, समस्त।
10. संबंधित मत्स्य ठेकेदार को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति के सन्दर्भ में राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम, 1958 (समय–समय पर संशोधित) के नियम 6(1) के प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक **23.10.2020** तक शेष ठेका राशि डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा जमा करें तथा प्रतिभूति राशि डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा जमा कराकर स्वंय उपस्थित होकर नियमानुसार अनुबन्ध कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करें। निर्धारित अवधि के अन्दर राशि जमा नहीं कराने पर विभाग में जमा चौथान राशि एवं अतिरिक्त राशि आदि जब्त कर ली जायेगी एवं ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि आगामी वर्ष की लीज राशि (नियमानुसार बढ़ोतरी के साथ) की एक चौथाई राशि एवं प्रतिभूति राशि दिनांक 31 जनवरी एवं शेष तीन चौथाई राशि 15 मार्च तक डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। नीलामी बोली की शर्त के अनुसार ठेका राशि जमा कराने के लिए पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। ठेकेदार अपनें पेन कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति एवं केंसिल चैक भी उपलब्ध कराएं।

11. सांख्यिकी शाखा/विकास शाखा/बीज शाखा, निदेशालय मत्स्य, जयपुर।
12. कनिष्ठ विधि अधिकरी, मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर।
13. रोकड़पाल, निदेशालय मत्स्य, जयपुर।
14. संबंधित ठेका पत्रावली।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक